भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/171/2016/एफ0 सी0/581 दिनांकः 23/08/2021

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद–अल्मोड़ा में पोखरी मेरगांव मोटर मार्ग से कपिलेश्वर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.025 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/11763/2015)

सन्दर्भः–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 267/FP/UK/ROAD/11763/2015 दिनांक 29-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 05/08/2016 का उत्तर राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा 5 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त प्रस्तुत किया है। जबकि अब guidelines मे विभिन्न स्तरों पर बदलाव हुये है, जिनके सन्दर्भ में प्रस्ताव का अवलोकन करने के उपरान्त निम्नलिखित कमियां संज्ञान में आयी है, जिनका निवारण प्रस्ताव को REC में चर्चा से पूर्व आवश्यक है।

1. प्रस्ताव में दो गांवो को लाभान्वित होना बतलाया गया है जिनकी जनसंख्या 319 है, किन्तु आनलाईन पोर्टल पर अपलोडेड के0एम0एल0 फाईल में गांवों की स्थिति अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता है कि डिजिटल मानचित्र पर alignment में अंकित बिन्दु 16 एवं 29 पर गांव जुड़ जा रहा है फिर भी प्रस्तावित मार्ग को अनावश्यक रूप से बिन्दु 46 तक बढ़ाया गया है। अतः राज्य सरकार उचित स्पष्टीकरण एवं आवश्यक संशोधन कर प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें।

2. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया Cost benefit analysis सभी बिन्दुआं का आकलन/गणना प्रस्तुत नहीं करता है। इसके अतिरिक्त नई guideline के अनुसार prescribed format में C/B analysis प्रेषित करने का कष्ट करें।

3. राज्य सरकार द्वारा दिया गया enumeration 9 मीटर चौड़ाई पर प्रस्तुत किया गया है जो कि 7 मीटर चौड़ाई पर दिया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त online portal पर राज्य सरकार द्वारा 0–30 girth class को अंकित नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह online part II के para 4 पर saplings को भी अंकित करने का कष्ट करें।

4. प्रकरण में अत्यधिक संख्या में वृक्षों का पातन प्रस्तावित है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह तीन वैकल्पिक समरेखणों का परीक्षण कर उनसे संबंधित समस्त विवरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें। साथ ही उपलब्ध रोड नेटवर्क को भी के0एम0एल0 फाईल पर दर्शाने का कष्ट करें।

5. पूर्व में FRA certificate पर क्षेत्रफल के correction कें बाबत लेख किया गया था, जिसके जवाब में राज्य सरकार द्वारा area correction तो किया गया परन्तु उसे verify नही किया गया। अतः राज्य सरकार FRA certificate में corrected क्षेत्रफल को verify कर इस कार्यालय में प्रषित करने का कष्ट करें।

6. राज्य सरकार द्वारा इस कार्यालय के ई0डी0एस0 का उत्तर तय सीमा के बाद दिया गया है। अतः राज्य सरकार अनुपालन आख्या प्रेषित करने में विलम्ब होने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें एवं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र, उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मार्गदर्शी के पैरा 1.20 (re-opening of case) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

23/08/24

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)